

रामायणकालीन विचारधारा में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा

प्राप्ति: 20.07.2025
स्वीकृत: 11.09.2025

59

डॉ० चंचल देवी

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)

श्रीमती बी० डी० जैन गर्ल्स पी.जी.

कॉलेज, आगरा

ईमेल: chanchal0116@gmail.com

सारांश

रामायणकालीन विचारधारा में राज्य का लोक कल्याणकारी पक्ष दृष्टिगोचर होता है। रामायण में राजनीति, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत स्तरों को शामिल करने वाली व्यापक अवधारणा धर्म है। धर्म राजनीति के ढाँचे में एक केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। रामायण कालीन शासन का स्वरूप राजतंत्रीय था। प्रशासन का अध्यक्ष राजा होता था, उसकी सहायता मंत्री करते थे। सभी धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर सम्प्रभु के रूप में अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। रामायण में राजनीतिक रूप से विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था देखने को मिलती है। सबसे ऊपर साम्राज्य था, जिसमें कई राज्य थे। राज्य के भीतर भौगोलिक रूप से विभाजन पूरा और ग्रामीण प्रदेशों के बीच था। रामायण में राजा को न्याय की प्रतिमूर्ति माना गया है। राजा धर्मासन पर बैठकर मंत्री और पुरोहित दोनों की बात सुनकर निष्पक्षतापूर्वक न्याय करते थे। उस समय युद्ध व सेना का भी उचित प्रबन्ध था। अर्थ व कोश के बिना राज्य को चलाना असम्भव है। अतः रामायण काल में भी अर्थ व्यवस्था व कोश की व्यवस्था का वर्णन विस्तार से मिलता है।

उस समय की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और उद्योग भी थे। अपने राज्य के नागरिकों की खुशहाली और समृद्धि के लिए अयोध्या के राजा पर्याप्त जागरूक थे। उस समय राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी दृष्टिगोचर होता है, जो वर्तमान समय में विशिष्ट महत्व रखता है।

शोध-पत्र

लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। राज्य अपने नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना अपना उत्तरदायित्व मानता है। वर्तमान समय

में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपना विशिष्ट महत्व रखती है। रामायण काल में भले ही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, पर उस समय भी राज्य के लोगों की खुशहाली, सुरक्षा व रोजगार पर राजा का पर्याप्त ध्यान था। पदों के वितरण में ज्येष्ठता और योग्यता के सिद्धान्त के साथ ही जनता की सहमति को भी माना जाता था। राजनीतिक रूप से विकेन्द्रकरण की व्यवस्था से राज्य के प्रत्येक भाग के विकास को अवसर मिलता था। राज्य के नागरिकों के रोजगार के सम्बन्ध में भी राजा पर्याप्त रागरूक थे। उस समय राजा के स्वरूप का विस्तृत वर्णन हमें बाल्मीकि रामायण व तुलसीदास रचित रामचरित मानस में मिलता है। वास्तव में इन दोनों ग्रन्थों को भारतीय जन जीवन में जो विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है वह अन्य किसी ग्रन्थ को नहीं मिला। रामायण भले ही मुख्य रूप से एक काव्य, एक साहित्यिक कृति है पर इसमें हमें राजनीति का एक समृद्ध वर्णन मिलता है। रामायण में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तरों को शामिल करने वाली व्यापक अवधारणा धर्म है।

धर्म सिद्धान्तों का वह समूह है जो मनुष्य को जीवन के निम्न रूपों से अलग करता है और जिसका पालन अधिकांश व्यक्तियों का हित करता है। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म संविधान, नैतिकता और मूल्यों के सिद्धान्त दोनों हैं और राज्य का उद्देश्य धर्म को बनाये रखना होता है। जब एक राज्य धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसका संरक्षण करता है। धर्म राजनीति के ढाँचे में एक केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह करता है।

प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार राजा प्रजा के लिए ब्रह्म की देन है। राजा का कर्तव्य प्रजा की सहायता कर उनको दुःखी जीवन से छुटकारा दिलाना है। प्रजा रक्षण राजा का प्रधान कर्तव्यमाना जाता था। रामायण कालीन शासन का स्वरूप राजतंत्रीय था। प्रशासन का अध्यक्ष राजा होता था। उसकी सहायता निपुण मंत्री करते थे। धर्म के प्रश्नों को सुलझाने और किसी विशेष परिस्थिति में कार्यवाही का निर्णय लेने के लिए सभा से परामर्श किया जाता था। राजा की नियुक्ति में बाल्मीकि ने तीन सिद्धान्तों का उल्लेख किया है—

1. ज्येष्ठता का सिद्धान्त
2. योग्यता का सिद्धान्त
3. प्रजा की सहमति

राजा दशरथ ने श्रीराम के राज्याभिषेक के विषय में इन तीनों सिद्धान्तों का पालन किया। उन्होंने राम का राज्याभिषेक का निर्णय सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र होने के तौर पर नहीं लिया बल्कि उन्होंने पर्याप्त राजनीतिक चेतना का परिचय दिया। उन्होंने श्रीराम को युवराज के रूप में राज्याभिषेक करने का प्रस्ताव सभा के सम्मुख रखा तथा सभी की राय माँगी। उपस्थित लोगों ने राम की प्रशंसा की और राम की लोकप्रियता का बखान भी किया। लोगों के साथ-साथ राम को अपने भाइयों का भी पूर्ण समर्थन इसके अलावा उन्हें वेद, वेदांग, विज्ञान, कला, साहित्य, धनुर्वेद घोड़ों और हाथियों की सवारी और उन्हें तोड़ना एवं सेन्य रणनीति के साथ-साथ आत्मसंयम की शिक्षा भी ग्रहण की थी। राजा दशरथ ने श्रीराम का राज्याभिषेक कराने का निर्णय पर्याप्त राजनीतिक चेतना का प्रतीक था।

भारतीय राजदर्शन के अनुसार मानव में जन्मजात सगुण व दुर्गुण का वास रहता है। दुर्गुणी (असुर) व्यक्ति समाज के हर व्यक्ति का जीवन खतरे में डाल देते हैं। अतः ईश्वरीय दण्ड विधान

सृजित किया गया है कि राजा द्वारा मानव को सुरक्षा प्रदान की जायेगी व अराजकता पर नियंत्रण रखा जायेगा। रामायण में इससे सम्बन्धित अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु के तुरंत बाद अराजकता फैलने लगना, इससे पहले कि अमात्य और मंत्रियों की परिषद् गुरु वशिष्ठ से राजा के लिए एक राजकुमार को आमंत्रित करने का अनुरोध करती है। सभा भरत को राजा बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लेती है। भरत यह कहकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं कि बड़े भाई के जीवित रहते छोटे भाई का राजा बनना इक्ष्वाकुओं के धर्म के विरुद्ध है। इस प्रकार से वह अने कुल के उच्च आदर्शों व परम्पराओं का पालन करते हुए समाज के सम्मुख श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं व अराजकता को भी दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

रामायण में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाया गया है। राज्य के द्वारा ही मानव को सुरक्षा एवं समृद्धि मिलती है। अपने राज्य के नागरिकों की खुशहाली और समृद्धि के लिए भी अयोध्या के राजा पर्याप्त जागरूक थे। अयोध्या में सिंचाई की व्यवस्था थी और वह बारिश पर निर्भर नहीं थी। पूरे राज्य में सड़के थी, जिन पर रथ चल सकते थे। विभिन्न प्रकार के जल निकायों का भी उल्लेख मिलता है।

रामायण में राजनीतिक रूप से विकेन्दीकरण की व्यवस्था देखने मिलती है। सबसे ऊपर साम्राज्य था, जिसमें कई राज्य थे। राज्य के भीतर भौगोलिक रूप से विभाजन पुरा (शहर अर्थात् राजधानी) और ग्रामीण प्रदेशों (जनपद) के बीच था। ग्रामीण प्रदेशों में ग्राम कृषि, गाँव, घोष, देहाती गाँव, नगर और पन्तन (कस्बों) जैसी छोटी इकाईयां थी। शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः गिल्ड (श्रेणी) और व्यापारी होते थे, जिनके नेता होते थे।

रामायण कालीन शासन का स्वरूप राजतंत्रीय था। प्रशासन का अध्यक्ष राजा होता था, उसकी सहायता मंत्री करते थे। सभा धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पर सम्प्रभु के रूप में अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। उदाहरणतः जब बाली राक्षसों से युद्ध करके वापस नहीं आता तो सभी ही यह निर्णय लेती है कि सुग्रीव को राजा बनाया जाना चाहिए। हनुमान के पकड़े जाने के बाद रावण ने आगे की कार्यवाही तय करने के लिए सभा बुलाई। रावण सर्वसम्मति की इच्छा रखता है पर जब विभीषण सभा से भिन्न दृष्टिकोण रखता है तो वह सभा से पुनर्विचार करने को लिए कहता है। अंत में रावण विभीषण को देश निकाला का दण्ड देकर युद्ध करना तय करता है। इस प्रकार सम्प्रभु के रूप में अंतिम निर्णय राजा का होता है।

एक राजा के कर्तव्यों में यह निर्धारित किया गया है कि राजा को व्यक्तिगत रूप से शाही कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा जनमत का सम्मान करना चाहिए। इसी क्रम में रामायण का वह उदाहरण विशेष उल्लेखनीय है जिसमें उन्होंने एक धोबी के कथन को जनमत का आदेश मान अपनी पत्नी सीता को वन गमन के लिए भेजा। इसमें राम ने अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्व न देकर एक राजा के कर्तव्य का पालन कर समस्त सृष्टि के सम्मुख आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया।

रामायण में राजा को न्याय की प्रतिमूर्ति माना गया है। राजा धर्मासन पर बैठकर मंत्री और पुरोहित दोनों की बात सुनकर निष्पक्षतापूर्वक न्याय करते थे, ताकि न्याय गलत नहीं किया जाये। वास्वत में यदि राज्य दण्ड के माध्यम से दुष्टों का दमन नहीं करें तो अराजकता एवं भयावह असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। अतः रामायण में भी अपराधी को दण्ड की बात कही गई है।

अपराधी को राज्य द्वारा दिया गया समुचित दण्ड स्वयं अपराधी को अपराध के पाप से मुक्त कर देता है। समुचित दण्ड के माध्यम से समाज की भी नैतिक उन्नति होती है, क्योंकि इसके कारण समाज में नैतिक मूल्यों व धर्मयुक्त आचरण की प्रतिष्ठा बनी रहती है। दण्ड के भय से प्रजा अपराधों से विरत रहती है तथा इस प्रकार समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है, और यह सारी व्यवस्थाएं हमें रामायण काल में देखने को मिलती है।

रामायण काल में युद्ध व सेना का उचित प्रबन्ध था। उस समय की सेना में 4 मुख्य अंग होते थे – पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना व रथ सेना। युद्ध में धनुष-वाण, तलवार-ढाल, भाला-शक्ति और गदा-चक्र आदि हथियारों का उपयोग किया जाता था। विभिन्न राजनीतिक चिन्तकों ने भी राज्य-हित के संवर्द्धन में युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकारा है और कहा है कि साम, दाम एवं भेद तीनों उपायों के विफल हो जाने की दशा में आत्मरक्षार्थ ही युद्ध को स्वीकार करना चाहिए, पर इसके लिए राज्य सेना व हथियार सहित अपने को सुसज्जित भी रखे तभी युद्ध का औचित्य है।

अर्थ व कोश के बिना राज्य को चलाना असम्भव है रामायण काल में अर्थ व्यवस्था और कोश की व्यवस्था का वर्णन विस्तार से मिलता है। उस समय की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और उद्योग भी थे। पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था और उद्योग भी थे। पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था और गाय, भैंस, बकरियाँ, आदि पाली जाती थी। वस्त्र निर्माण, धातु कार्य और लकड़ी का काम जैसे उद्योग भी विकसित थे। कोश की व्यवस्था के लिए रामायण काल में जो व्यवस्था थी, वह इस प्रकार थी कि राजकोश में राजा की आय व न्याय का लेखा जोखा रखा जाता था। भूमि कर, व्यापार कर और आय कर जैसे करों का संग्रह किया जाता था। सोने, चाँदी व ताँबे के सिक्के चलते थे। वास्तव में राज्य की सुरक्षा, राज्य की समृद्धि तथा सुदृढ़ता तथा प्रजा की सुख सुविधा हेतु राज्य-कोश एक महत्वपूर्ण साधन है, पर राजा द्वारा कोश की वृद्धि में उचित एवं न्यायपूर्ण तरीकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। रामायण काल में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था और प्रजा से यथोचित कर संग्रह ही किया जाता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रामकथा में राज्य का लोक कल्याणकारी पक्ष दृष्टिगोचर होता है। अपने राज्य के नागरिकों की खुशहाली और समृद्धि के लिए अयोध्या के राजा पर्याप्त जागरूक थे। पदों के वितरण में ज्येष्ठता और योग्यता के सिद्धान्त के साथ ही जनता की सहमति का भी विशिष्ट महत्व था। सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय व आर्थिक समानता राज्य के मुख्य उद्देश्यों में शामिल थे।

1. रामायणकाल में धर्म की राजनीति में भूमिका।
2. रामायणकाल में राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप।
3. रामायणकालीन अर्थव्यवस्था।
4. रामायणकालीन शासन का स्वरूप।
5. रामायणकालीन न्यायिक व्यवस्था।

6. रामायण काल में युद्ध व सेना के सम्बन्ध में विचार।

सन्दर्भ

1. डॉ० शिवदत्त चतुर्वेदी, वाल्मीकि रामायण में राजनीति, हंस प्रकाशन, जयपुर 2010 2. प्रभाकर दीक्षित, वाल्मीकि रामायण में राजनीतिक विचार, 2020
2. शर्मा रामाश्रय, वाल्मीकि रामायण का सामाजिक, राजनीतिक अध्ययन। दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास
3. गुरुगे, आनंद डब्ल्यू पी द सोसाइटी ऑफ द रामायण। अभिनव प्रकाशन, 1991
4. इस प्रकार मैंने अपने इस शोध- पत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयत्न किया है।